न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 06 / 2023	03–02–2023	03–03–2023

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत
निर्णय विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ़,जिला अलवर निर्णय दिनाक 28.02.2022

उपस्थित:–

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

02– श्री .... –वकील अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व / 2023 / जांच / 3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओ के अनुसरण में सुओमोटो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत संज्ञान लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर के आवंटन आदेश कमांक एल.आर. / आवंटन / 2021–22 / 949 दिनांक 28.02.2022 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी मे से 0.14 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटन छोटे लाल पुत्र श्री गंगा सहाय मीना जाति मीना निवासी ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर को किया गया है के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी / अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य / सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। अप्रार्थी आवंटी द्वारा दिनांक 14.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जवाब मे कथन किया गया है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित आराजी पर खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी मे से 0.14 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर पर प्रार्थी अपने बुर्जुगान के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 मे उक्त आराजी का विधि अनुसार आवंटन किया गया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई जिसमे उन्होने प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है, उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश कमांक एल.आर. / आवंटन / 2021–22 / 949 दिनांक 28.02.2022 के द्वारा नियम विरूद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ़ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ़ / टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक प0 12–3 / राजस्व / 2022 / 8962–63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़ / टहला के प्रशासन गांव

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओ की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया प्रदत्त निर्देशो की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट मय अपनी अभिशंषा प्रस्तुत की गई, प्रकरण में वर्णित आराजी सिवायचक वंजड आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी मे से 0.14 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर परन्तु आवंटी अप्रार्थी द्वारा अपने जवाव मे कब्जे के संवंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया गया है। राजस्व रिकाडे संवत 2012, मे गैर मुमकिन पहाड अंकित है एवं सवत 2020 मे गैर मुमकिन पहाड व नाला दर्ज रिकार्ड है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोकहित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिवंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/949 दिनांक 28.02.2022 विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस एवं अप्रार्थी आवंटी के प्रस्तुत जवाब पर मनन किया न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया आवंटी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी मे से 14 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर पर अप्रार्थी अपने बुर्जुगान के समय से ही कब्जा काश्त मे है, कब्जे के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरो/फोलोअप कैम्पो मे नही किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो व राजकीय कृषि भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थिति मे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पारित किये जाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो इस बावत् कोई प्रमाण उपलब्ध नही है एवं जल संसाधन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग से भी अनापत्ती प्राप्त नही की है। आवंटन के लिए विचारार्थ भूमि बाघ परियोजना सरिस्का के अन्तर्गत आती है एवं अधिशाषी अभियन्ता (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 जल संसाधन खण्ड अलवर के अनुसार ग्राम धौलान कमाण्ड क्षेत्र मे आता है। आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने जांच के दौरान यह अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखो की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितता का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियम की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रकरण मे आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी मे से 14 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर आवंटी भूमि हीन किसान को आवंटन किया जाने के नियम है उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/949 दिनांक 28.02.2022 आवंटन नियम 1970 मे आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओ के विपरीत जारी किये गये है जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। राजस्व रिकार्ड संवत 2012, मे गैर मुमकिन पहाड अंकित है एवं सवत् 2020 मे गैर मुमकिन पहाड व नाला दर्ज रिकार्ड है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्गाण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिवंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। अतः प्रकरण स्वीकार किया जाकर आंवटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /949 दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ★ अलवर (राज.) ★ ALWAR (RAJ.)